(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2586–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–07–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 433/अपील/2014–15.

.....

1–गौरीशंकर शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा

2–श्री निवास शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा

3–देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा

4–लक्ष्मी बेवा देवहंस शर्मा,

5–लक्ष्मीकांत शर्मा स्व0 श्री देवहंस शर्मा,

6–मुन्नी बाई पत्नी बाबूलाल शर्मा

समस्त निवासीगण ग्राम ऐराया तहसील चीनौर,

जिला ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्द प्रसाद पुत्र श्री महादेव प्रसाद,

सेवा निवृत्त पटवारी निवासी ग्राम

ऐराया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 13/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पटवारी द्वारा ग्राम ऐराया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1271 का बटांकन प्रस्ताव पक्षकारों की सहमति के आधार पर तैयार कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण कमांक 3/12–13/अ–3 दर्ज कर दिनांक 2–1–13 को बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–15 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–7–16 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का दायित्व था कि वे सर्वप्रथम समय सीमा के बिन्दु पर निर्णय लेते उसके बाद गुणदोष पर आदेश पारित करते, परन्तु उनके द्वारा सीधे गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि भले ही अवधि विधान के बिन्दु को न्यायालय में नहीं उठाया गया हो फिर भी न्यायालय का यह दायित्व है कि वे समय सीमा पर निर्णय लेकर गुणदोष पर आदेश पारित करें । अपर आयुक्त द्वारा भी इस वैधानिक तथ्य पर ध्यान नहीं देकर अपील निरस्त करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये

जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किया गया हे और ना ही अनावेदक को पक्षकार बनाया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि बटांकन में अनावेदक की कोई सहमति नहीं ली गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से बटांकन हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे सीधा अर्थ है कि आवेदक द्वारा बटांकन का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक बार बटांकन होने के बाद दोबारा बटांकन नहीं हो सकता है और प्रश्नाधीन भूमि का पूर्व में बटांकन हो चुका है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में बंटाकन हो चुका है, ऐसी स्थिति में दोबारा बटांकन का कोई आधार नहीं है । नहर में भूमि अधिग्रहित होने से कब्जे की स्थिति के लिये आवेदक सीमांकन कराकर अग्रिम कार्यवाही के लिये स्वतंत्र है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित पुनः बटांकन का आदेश अवैधानिक था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी निरस्त किया गया एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

इस संबंध में 2004 आरएन 254 श्रीराम विरूद्ध गौरीशंकर तथा अन्य में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।"

अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–07–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर